सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 4(1)स्वामित्व/विधि/पंरा/2020/E-File - 00439

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद समस्त।

विषयः–स्वामित्व योजनान्तर्गत भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त मैप–2 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 20.05.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि विभागीय पत्रांक 48 दिनांक 18.01.2021 व पत्रांक 353 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा मैप 1.0 व मैप 2.0 पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये हुए हैं, परन्तु प्रासंगिक पत्र के अनुसार ड्रोन सर्वेक्षण उपरांत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से ग्राउंड ट्रुथिंग हेतु जिलों को प्राप्त मैप 1.0 पर सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही यथा लाल डोरा प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में, नहीं किये जाने के कारण मैप 2.0 में कमियां प्राप्त हो रही हैं, जो उचित नहीं है।

उक्तानुसार एवं पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में पुनः निम्नानुसार निर्देर्शित किया जाता है कि:–

मैप 1.0 पर की जाने वाली ग्राउंड ट्रुथिंग की कार्यवाही कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में–

1. मैप 1.0 भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जमा करवाने हेतु दक्ष एवं विज्ञ कार्मिक ही भिजवाये जावें। ताकि होने वाले संशोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी व ली जा सके।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हुए ग्राउंड ट्रुथिंग किये जा रहे या किये जाने वाले मैप 1.0 पर सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा भविष्य में ग्राउंड ट्रुथिंग की कार्यवाही के दौरान नक्शे में होने वाले सभी संशोधन यथा लाल डोरा में किये जाने वाले संशोधन, किसी आबादी का विभाजन, नई आबादी को जोड़ना, नाम में संशोधन, नया नाम जुड़वाना, ID में संशोधन आदि किये जाने सुनिश्चित कर लिये जावें। ताकि मैप 2.0 में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं रहे (मैप 2.0 पर प्राप्त आपत्ति अनुसार होने वाले संशोधनों के अतिरिक्त)।

मैप 2.0 पर प्राप्त आपत्ति अनुसार या पूर्व में रह गए संशोधनों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही एवं संशोधन हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में–

1. मैप 2.0 में संशोधन करवाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जमा करवाने हेतु दक्ष एवं विज्ञ कार्मिक ही भिजवाये जावें। ताकि होने वाले संशोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी व ली जा सके।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.12 10:54:12 IST
Reason: Approved

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप 2.0 में संशोधन की स्थिति होने पर नक्शे में होने वाले सभी संशोधन पूर्ण कराते हुए, अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा नक्शों की अपने स्तर से पूर्ण जांच की जाकर इस आशय की निम्नानुसार टिप्पणी के साथ मैप 2.0 संशोधन हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भिजवाये जावें:—

   "ग्राम .... के नक्शे/नक्शों की पूर्ण जांच कर ली गई है। नक्शे/नक्शों में किये जाने वाले सभी संशोधन कर दिये गए हैं। इसमें/इनमें वर्तमान स्थिति अनुसार कोई भी संशोधन शेष नहीं रह गया है।"

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही की जाकर मैप 1.0 एवं मैप 2.0 संशोधन हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भिजवाये जावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. जिला कलेक्टर, समस्त।
3. निदेशक, राजस्थान जी.डी.सी., भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही की जाकर प्रस्तुत किये जाने वाले नक्शे को ज़िलों से सीधे ही स्वीकार कर संशोधित किये जावें।
4. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.12 10:54:12 IST
Reason: Approved